



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 10 जून, 2022

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना कोतवाली नगर

सर्गाफा व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले बदमाशों से स्वाट टीम व थाना कोतवाली नगर पुलिस की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश घायल/वस्था एवं 01 बदमाश कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद

अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.06.2022 को दोपहर स्वाट टीम एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस तलाश वांछित अपराधियों की धरपकड़ में मामू थी कि इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आज पुनः बदमाशों द्वारा सर्गाफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल उर्फ गुड्डू से रंगदारी की मांग की गयी है। पुलिस टीम को तकनीकी माध्यमों से बदमाशों की वलीपुरा नहर की पटरी पर जाने की जानकारी प्राप्त हुई। तत्काल स्वाट टीम एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए वलीपुरा नहर पटरी पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बाइक सवार बदमाश तेज गति से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गये, जिनको गिरफ्तार किया गया तथा एक बदमाश मौके से फरार हो गया जिसको भी कॉम्बिंग कर कुछ दूरी से अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान जयदीप पुत्र विजयराज सिंह एवं तरूण उर्फ कलुआ पुत्र नन्दलाल उर्फ नन्दू निवासी गण ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई तथा तीसरे बदमाश की पहचान हितेश उर्फ छोटू पुत्र कृष्णवीर निवासी उपरोक्त के रूप में हुई।** घायल दोनों बदमाशों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध असलहा, कारतूस व स्पलेंडर बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त बदमाशों द्वारा दिनांक 04.06.2022 को थाना शिकारपुर क्षेत्र मन्दिर से मोबाइल फोन लूटकर उसी दिन उस मोबाइल से सर्गाफा व्यापारी प्रदीप कुमार मित्तल उर्फ गुड्डू पुत्र मदनलाल मित्तल निवासी शिकारपुर कम्पाउण्ड डी0एम0 रोड़ कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर को कॉल कर 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की गयी थी, न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर मुअसं-473/22 धारा 384/507/504 भादवि पंजीकृत है। आज पुनः अभियुक्तों द्वारा एक अन्य फोन से सर्गाफा व्यापारी को प्रदीप कुमार मित्तल को कॉल कर रंगदारी की मांग की गयी थी। इस अभियोग के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस द्वारा तकनीकी माध्यमों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे थे कि इसी क्रम में आज बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 20,000 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- जयदीप पुत्र विजयराज सिंह निवासी ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर।
- 2- तरूण उर्फ कलुआ पुत्र नन्दलाल उर्फ नन्दू निवासी उपरोक्त।
- 3- हितेश उर्फ छोटू पुत्र कृष्णवीर निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

- 1- 03 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस
- 2- एक स्पलेंडर मोटर साइकिल बिना नंबर
- 3- रंगदारी मांगने में प्रयुक्त लूटे गये मोबाइल सहित दो मोबाइल फोन बरामदा

अभियुक्त हितेश उर्फ छोटू का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-425/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-383/2019 धारा 307/323 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-251/2019 धारा 341,323,504,506 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-50/2020 धारा 323,504,506 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-269/2020 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं-332/2021 धारा 323,506 भादवि थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं-343/2021 धारा 506,507 थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर।



मीडिया सेल बुलंदशहर